आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : आजमगढ़, जनपद : आजमगढ़, तहसील : लालगंज

वाद संख्या :- 068/2021

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202115520200068

दिवाकर पुत्र स्व0 बासदेव व इन्द्रभान सिंह पुत्र श्री दिवाकर सिंह व शारदा प्रसाद पुत्र स्व0 बल्देव व बासदेव सिंह स्मृति समाज सेवा समिति बनाम उ0 प्र0 सरकार

अन्तर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी दिवाकर पुत्र स्व0 बासदेव निवासी ग्राम–शेखपुर बछौली), परगना–देवगाँव, तहसील–लालगंज, जनपद–आजमगढ़ व इन्द्रभान सिंह पुत्र श्री दिवाकर सिंह व बासदेव सिंह स्मृति समाज सेवा समिति निवासीगण ग्राम–मिरवाँ (शेखपुर बछौली), परगना–देवगाँव, तहसील–लालगंज, जनपद–आजमगढ़ व शारदा प्रसाद पुत्र स्व0 बल्देव निवासी ग्राम–अगरपट्टी, परगना व तहसील–सदर, जनपद–वाराणसी द्वारा ग्राम–शेखपुर बछौली के आराजी संख्या–43 रकबा–0.2460 हे0 व आराजी संख्या–494 रकबा–0.3050 हे0 व आराजी संख्या–498 रकबा 0.3040 हे0 कुल तीन गाटों में उपलब्ध रकबा 0.855 हे0 अर्थात् 8550.00 वर्गमीटर के सम्बन्ध में वाद दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि वादी आराजी उपरोक्त का भूमिधर काबिज दाखिल बैनामा जिसपर वादी बतौर भूमिधर काबिज दाखिल है तथा इस भूमि को वादी ने पैतृक व रजिस्ट्री खतौनी हासिल किया है वादी वादग्रस्त भूमि को आबादी घोषित करना चाहता है। जो कि नियमानुसार हम दिवाकर पुत्र स्व0 बासदेव व इन्द्रभान सिंह पुत्र श्री दिवाकर सिंह व बासदेव सिंह स्मृति समाज सेवा समिति व शारदा प्रसाद पुत्र स्व0 बल्देव कायम है। अन्त में कहा गया कि वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय।

प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीलदार से जाँच आख्या प्राप्त की गयी उनके द्वारा दिनांक 02.09.2021 रिपोर्ट दी गयी कि आराजी संख्या–43 रकबा–0.2460 हे0 व आराजी संख्या–494 रकबा–0.3050 हे0 व आराजी संख्या–498 रकबा 0.3040 हे0 कुल तीन गाटों में उपलब्ध रकबा 0.855 हे0 अर्थात् 8550.00 वर्गमीटर को अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति की गयी है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया नायब तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि आराजी संख्या–43 रकबा–0.2460 हे0 व आराजी संख्या–494 रकबा–0.3050 हे0 व आराजी संख्या–498 रकबा 0.3040 हे0 कुल तीन गाटों में उपलब्ध रकबा 0.855 हे0 अर्थात् 8550.00 वर्गमीटर में मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत हो रहा है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम–शेखपुर बछौली के आराजी संख्या–43 रकबा–0.2460 हे0 व आराजी संख्या–494 रकबा–0.3050 हे0 व आराजी संख्या–498 रकबा 0.3040 हे0 कुल तीन गाटों में उपलब्ध रकबा 0.855 हे0 अर्थात् 8550.00 वर्गमीटर भूमि अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है आदेश की एक प्रति उप निबन्धक लालगंज को नियमानुसार पंजीयन हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :

(एस0 एन0 त्रिपाठी)
उपजिलाधिकारी
लालगंज–आजमगढ़